

प्रारूप- एक
(नियम 11 देखिये)
कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा
अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :-

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	पाली	बतरा	5.66 एकड़	खारुन व्यपवर्तन योजना के दौड़ तट नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10.11.2016 को समय- 12.00 बजे से स्थान- प्राथमिक शाला भवन कुंभीपानी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- 1 लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : खारुन व्यपवर्तन योजना के दौड़ तट नहर निर्माण हेतु
- 2 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 24 परिवार
- 3 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 24 परिवार
- 4 प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
- 5 प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
- 6 क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हाँ
- 7 क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? : हाँ
- 8 परियोजना की कुल लागत : ₹0 2217.47 लाख
- 9 परियोजना से होने वाला लाभ : परियोजना से 1992 हे0 में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना से ग्राम बतरा, सिल्ली, पोलमी एवं निरधी लाभान्वित होंगे।
- 10 प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
- 11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : परियोजना से ग्राम बतरा, सिल्ली, पोलमी एवं निरधी में 1992 हे0 में खरीफ सिंचाई सुविधा मिलेगी, जल संवर्धन होगा तथा निस्तार एवं पेय जल की समस्या हल होगी।

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो, तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(पी.डी.सिंह)

कलेक्टर

जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

- 01- सचिव,छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
- 03- आयुक्त,नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 04- नियंत्रक,शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगाँव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 05- कार्यपालन अभियंता,जल संसाधन संभाग कोरबा की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा का उपलब्ध करावे।
- 06- प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ0ग0शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 07- तहसीलदार पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय,अनुविभाग कार्यालय, एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करे।
- 08- सचिव,ग्राम पंचाय बतरा तहसील पाली जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करे।

(पी0व०मिंद)

कलेक्टर

जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)